संख्या- 12/1790/58-2014-131/2014

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2014

विषय:- **अनुदान संख्या-10 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में उद्यान शाखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या**-101/**बजट (आयोजनेत्तर)/2014-15, दिनांक 09/07/2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14/03/2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22/07/2014 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में उद्यान शाखा के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-1,41,33,84 हजार (रूपये एक अरब इकतालिस करोड़ तेतीस लाख चौरासी हजार) मात्र के सापेक्ष लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम चार माह (अप्रैल 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-45,67,81 हजार (रूपये पैतालिस करोड़ सरसठ लाख इक्यासी हजार मात्र) के अतिरिक्त रू0-95,60,03 हजार (रूपये पच्चानबे करोड़ साठ लाख तीन हजार) मात्र की और धनराशि **निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु** आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाये तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक- 14/03/2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक- 22/07/2014 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक- 06/06/1994 एवं शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस'2009-मित0-1/2007, दिनांक- 26/10/2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चत कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2014-15 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर लेखानुदान के अन्तर्गत ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक: 14/03/2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक-22/07/2014 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उद्यान विभाग एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय

(10) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक: 14/03/2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक- 22/07/2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या12 /1790 (1)/58-2014-तदद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in